क्रमांक 10946-2 जी0एस0-II-75/6812

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय और सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़, 25-3-76 ।

विषय : भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति ।

महोदय,

मुझे आदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलाऊं और कहूं कि भारत सरकार पुनर्वास निदेशालय के सुझाव पर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में भूतपूर्व सैनिकों की सिविल सेवा में जब नियुक्ति पुनर्नियुक्ति की जाती है तो नियोक्ता निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करें कि :—

(1) प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक की डिस्चार्ज बुक के पृष्ठ-I के ऊपर दाईं ओर यह दर्ज कर दे कि उसे सिविल पद पर लिया गया है । साथ ही साथ यह भी स्पष्ट करें कि उसे स्थाई/अस्थाई/तदर्थ अथवा नियमित तौर पर नियुक्त किया गया है ।

(2) नौकरी के लिये जिन भूतपूर्व सैनिकों की सबमिशन की जानियोंवाले ता उनके परिणाम स्पान्सरिंग अथारिटी को शीघ्रातिशीघ्र भेज दें ।

अनुरोध किया जाता है कि इन अनुदेशों की ध्यान पूर्वक अनुपालना की जावे और इन्हें सभी सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में भी ला दिया जाए ।

भवदीय,
हस्ता/-

उप सचिव, सामान्य प्रशासन
कृते0 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

क्रमांक 10946-2 जी0एस0-II-75/6813 दिनांक 25-3-1976

एक-एक प्रति सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :—

वित्तायुक्त, राजस्व हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।